<u>कार्यालय आख्या</u>

श्रीमान जी,

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एम.ए.सी. सं0 –570/2017 अलोक मिश्रा आदि बनाम जसपाल सिंह आदि से सम्बन्धित है। उक्त एम.ए.सी. याचिका इस अधिकरण द्वारा दिनांक31.01.2023 को उभय पक्षों को सुनकर गुण दोष के आधार पर क्षतिपूर्ति धनराशि मु0 – 32,96,216/- रू0 (बत्तीस लाख, छियानवे हजार, दो सौ सोलह रूपये) के लिये निर्णित की गयी है।

अधिकरण के निर्णय के अनुपालन में प्रतिपक्षी बीमा कं0 द्वारा निर्णित क्षतिपूर्ति की सम्पूर्ण धनराशि मु0 – 32,96,216/- रू0 (बत्तीस लाख, छियानवे हजार, दो सौ सोलह रूपये) मय ब्याज अधिकरण के बचत खाते में जमा कर दी गयी थी, उक्त धनराशि में से निर्मित एफ.डी.आर.सं0 0850255 दिनांकित 17.04.2023 मु0 – 20,96,216/-रूपये इण्डियन बैंक में आलोक मिश्रा के पक्ष में तीन वर्ष के लिए निर्मित की गयी थी, जो दिनांक 18.04.2026 को परिपक्व हो चुकी है।

याची द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में कोई अपील योजित नही की गई है और न ही कोई स्थगन आदेश प्रभावी है।

पत्रावली पर श्री सतेन्द्र पाल सिंह, एडवोकेट का अभिभाषक पत्र संलग्न है।

प्रतिवेदन श्रीमान जी की सेवा में आदेशार्थ सादर समर्पित है।

सादर समर्पित

सहायक लेखाकार

<u>आदेश</u>

<u>20.07.2026</u>

एम.ए.सी. सं0 – 570/2017 अलोक मिश्रा आदि बनाम जसपाल सिंह आदि में याची की ओर से प्रार्थना पत्र एफ.डी.आर. सं0 0850255 के भुगतान हेंतु प्रस्तुत किया गया है।

कार्यालय आख्या का अवलोकन किया गया। कार्यालय आख्यां के अनुसार अधिकरण के निर्णय के अनुपालन में प्रतिपक्षी बीमा कं0 द्वारा निर्णित क्षतिपूर्ति की सम्पूर्ण धनराशि मु0 – 32,96,216/- रू0 (बत्तीस लाख, छियानवे हजार, दो सौ सोलह रूपये) मय ब्याज अधिकरण के बचत खाते में जमा कर दी गयी थी, उक्त धनराशि में से निर्मित एफ.डी.आर.सं0 0850255 दिनांकित 17.04.2023 मु0 – 20,96,216/-रूपये इण्डियन बैंक में आलोक मिश्रा के पक्ष में तीन वर्ष के लिए निर्मित की गयी थी, जो दिनांक 18.04.2026 को परिपक्व हो चुकी है। उक्त एफ.डी.आर. की धनराशि का भुगतान याची को नकद भुगतान जरिये NEFT/RTGS के माध्यम से प्रदान किया जाये।

याची द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में कोई अपील योजित नही की गई है और न ही कोई स्थगन आदेश प्रभावी है।

बैंक ब्याज याची को नकद के साथ दिया जाये।

तदानुसार प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

दिनांक 20.07.2026

(पीठासीन अधिकारी)
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
मुरादाबाद।